संख्या:13/2015/743/ सत्रह - म- 2015,6-9(III)/2014

प्रेषक,

क्षेत्रपाल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 01 जून 2015

विषय झींगा पालन योजनान्तर्गत वर्ष 2015- 16 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या -188/नि0शा0/2015- 16 दिनांक 06- 05- 2015के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश् हुआ है कि वर्ष 2015-16 में झींगा पालन योजनान्तर्गत आय-व्ययक में रू0 1000 हजार का प्राविधान किया गया है। झींगा पालन योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 1000 हजार (रू0 दस लाख मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत 20 जनपदों के लिए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है।

(धनराशि रू0 हजार में)

क्र0सं0	जनपद	स्थापित की जाने वाली यूनिटों की संख्या	क्षेत्रफल (हे0में)	प्रति यूनिट कुल लागत धनराशि	50 प्रतिशत देय अनुदान धनराशि
1	गोरखपुर	02	1.00	100	50
2	लखीमपुर खीरी	02	1.00	100	50
3	इलाहाबाद	02	1.00	100	50
4	फतेहपुर	02	1.00	100	50
5	आजमगढ	02	1.00	100	50
6	बलिया	02	1.00	100	50
7	मऊ	02	1.00	100	50
8	इटावा	02	1.00	100	50
9	वाराणसी	02	1.00	100	50
10	चन्दौली	02	1.00	100	50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11	गाजीपुर	02	1.00	100	50
12	महराजगंज	02	1.00	100	50
13	बलरामपुर	02	1.00	100	50
14	अलीगढ	02	1.00	100	50
15	आगरा	02	1.00	100	50
16	मथुरा	02	1.00	100	50
17	संत रविदास नगर	02	1.00	100	50
18	मुरादाबाद	02	1.00	100	50
19	रामपुर	02	1.00	100	50
20	बिजनौर	02	1.00	100	50
	योग	40	20.00	2000	1000

(कुल रू0 दस लाख मात्र)

1- उपरोक्त स्वीकृति धनराशि को निदेशक मत्स्य उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या- 192/ नि0शा0/2011-12 दिनांक 10-05-2011 में लाभार्थियों के चयन हेतु निर्धारित मापदण्डों/दिशा-निर्देशों अनुसार किया जायेगा। उक्त स्वीकृति धनराशि का किसी भी दशा मे किसी बैंक/पी0एल0ए0 में जमा नही की जायेगी । आंवटित धनराशि का सम्पूर्ण व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में किया जायेगा,जिसकी वित्तीय/भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ हैहो रहा है।

2- यह योजना कृषकों की भांति मत्स्य पालकों की आय में वृद्वि के दृष्टिगत उल्लिखित जनपदो में प्रत्येक जनपद में 0.5 हे0 जलक्षेत्रों के निजी क्षेत्र /सामुदायिक क्षेत्र में पटटे पर आवंटित तालाब में संचालित करायी जायेगी । 0.5 हेक्टेअर जलक्षेत्र के एक इकाई में पूर्व में पाली गयी मछली के साथ-साथ 20,000 झीगा का बीज संचित कराया जायेगा ।

3- झींगे का बीज आई0सी0 ए0आर0 के केन्द्रीय संसाधनों (सी0आई0एफ0ई0) अथवा निजी क्षेत्र की झींगा हैचरी से क्रय कर हवाई मार्ग से यथा स्थिति सम्बंधित जनपदों के चयनित मत्स्य पालकों को मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा । जिस पर यातायात व्यय सहित 20,000 झीगा के बीज पर कुल रू0 20,000 का व्यय होगा । झींगा फीड सरकारी अथवा गैरसरकारी क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत कम्पनियों / आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार आपूर्ति करायी जायेगी । 0.5 हेक्टेअर के एक यूनिट के लिए झींगा बीज के फीड हेतु रू0 30,000 व्यय किया जायेगा । इस प्रकार 0.5 हे0 के एक यूनिट के लिए झींगा बीज एवं फीड हेतु कुल रू0 50,000(रू0 पचास हजार) का व्यय होगा ।

4- झींगा पालन हेतु झींगा पालकों को 50 प्रतिशत अर्थात अधिकतम रू0 25,000 अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत की धनराशि जलभराव आदि कार्यो पर होने वाला व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

झींगा पालकों द्वारा स्वयं के संसाधनों द्वारा वहन किया जायेगा अथवा आवश्यकतानुसार बैंक वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

5- झींगा पालन मे तकनीकी जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। झींगा पालकों को सम्बधित जनपदों के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा सप्ताहिक / पाक्षिक आधार पर निरीक्षणकर तकनीकी जानकारी कार्यस्थल पर सुलभ करायी जायेगी।

6- योजनान्तर्गत लाभाथियो का चयन निदेशालय मत्स्य द्वारा निर्धारित मापदण्डो/ दिशा- निर्देशों के अनुसार सम्बंधित मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण की देखरेख एवं प्रभावी नियत्रंण में सम्पन्न कराया जायेगा ।

7- योजनान्तर्गत स्वीकृति धनराशि का उपयोग होने के उपरान्त समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता आवंछनीय होगी ।

2- उपरोक्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या - 17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन-आयोजनागत, 101-अर्न्तदेशीय मछली पालन, 04-मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0407- झींगा पालन, 27- सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2015 /बी0-1-925/दस -2015 -231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(क्षेत्रपाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या13/2015/743(1)/सत्रह-म-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा -परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
3- सम्बधित जनपद के कोषाधिकारी ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय।
5- सम्बंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(क्षेत्रपाल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in